HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT JODHPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 1831/2026

Mimo W/o Gorakh Ram, Aged About 63 Years, R/o Hanuman Sagar, Matoda, Police Station Matoda District Phalodi. (At Present Lodged At Central Jail , Jodhpur)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Rajesh Joshi Sr. Adv. assisted by Ms. Kamini Joshi
For Respondent(s)	:	Mr. Prem Singh Panwar, PP Mr. Bhika Ram Bishnoi for Complainant

---

HON'BLE MR. JUSTICE ASHUTOSH KUMAR

Order

25/02/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत आवेदन पत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के अन्तर्गत **पुलिस थाना मतोड़ा, जिला फलोदी** में दर्ज **प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 160/2025** अपराध अन्तर्गत **धारा 80(2), 85 भारतीय न्याय संहिता** के संबंध में पेश किया गया है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थिया/अभियुक्ता का तर्क रहा है कि प्रार्थिया/अभियुक्ता को इस प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। मृतका इंद्रा का विवाह प्रार्थिया/अभियुक्ता के पुत्र गणपतराम के साथ दिनांक 19.12.2021 को हुई थी। घटना दिनांक 27.09.2025 को, इंद्रा ने ग्राम मतोड़ा, जिला फलोदी में अपने ससुराल में अपने ऊपर केरोसिन डालकर आग लगा ली, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। घटना के दिन प्रार्थिया/अभियुक्ता मौके पर मौजूद नहीं थी, बल्कि भादरिया राय, जैसलमेर गई हुई थी, जिसकी पुष्टि चार्जशीट में संलग्न

दस्तावेजात से होती है। उनका यह भी तर्क है कि मृतका का जो बयान वीडियोग्राफी के जरिए लिया गया है, जिसका ट्रांसक्रिप्शन चार्जशीट का भाग है, में भी मृतका ने प्रार्थिया/अभियुक्ता का नाम नहीं लिया है। प्रार्थिया/अभियुक्ता 63 वर्षीय वृद्धा है, जो कि हृदय रोग से ग्रसित है। उनका यह भी तर्क है कि पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है, जिससे प्रार्थिया/अभियुक्ता द्वारा मृतका को उसकी मृत्यु के ठीक पूर्व दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किया जाना प्रकट होता है। प्रार्थिया/अभियुक्ता को दिनांक 14.10.2025 को गिरफ्तार किया गया है, तब से न्यायिक अभिरक्षा में है। आरोप–पत्र पेश किया जा चुका है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः उपरोक्त तर्कों के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया।

विद्वान लोक अभियोजक व विद्वान अधिवक्ता परिवादी द्वारा उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुए प्रार्थिया/अभियुक्ता के जमानत आवेदन–पत्र को खारिज करने का निवेदन किया।

सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि घटना दिनांक 27.09.2025 को हुई, जिसमें मृतका द्वारा अपने ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा ली, घटना के समय मृतका व उसका पति गणपतराम घर पर था, प्रार्थिया/अभियुक्ता मृतका की सास मौके पर मौजूद नहीं थी। आरोप–पत्र पेश किया जा चुका है। प्रार्थिया/अभियुक्ता 63 वर्षीय वृद्धा है। प्रार्थिया/अभियुक्ता को दिनांक 14.10.2025 को गिरफ्तार किया गया है, तब से न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः मामले के

समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, प्रार्थिया/अभियुक्ता की अभिरक्षात्मक अवधि, अन्वीक्षा में लगने वाले समय को दृष्टिगत रखते हुए, मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना हस्तगत मामले में प्रार्थिया/अभियुक्ता को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **मीमो पत्नी गोरखाराम** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि यदि अभियुक्त **प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 160/2025 पुलिस थाना मतोड़ा, जिला फलोदी** में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद उपस्थिति हेतु **1,00,000/– (अक्षरे एक लाख रूपए मात्र)** का एक व्यक्तिगत बन्ध–पत्र तथा **50,000–50,000/– (अक्षरे पचास–पचास हजार रूपए मात्र)** की तस्दीकशुदा दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर प्रमाणित करा देवे तथा अभियुक्त की किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो तो हस्तगत प्रकरण में उसे अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जावे। प्रार्थिया/अभियुक्ता को आदेशित किया जाता है कि वह विचारण न्यायालय द्वारा नियत तिथियों पर व जब भी उसे बुलाया जावे, न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

(ASHUTOSH KUMAR),J

21-sandeepJ/-